



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125311

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 19651 वर्ष 2026

शोएब

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शम्स उज़्ज ज़मान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शम्स उज़्ज ज़मान, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन थाना बागपत, जिला बागपत से संबंधित वाद अपराध संख्या- 189 वर्ष 2018, अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 307 आईपीसी, जो विद्वान एसीजे/जेएम, बागपत के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर निरस्त करने के लिए दायर किया गया है, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.06.2024 के माध्यम से विधिवत सत्यापित किया जा चुका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों ने समझौते के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, जिसे विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश/न्यायिक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मजिस्ट्रेट, बागपत के न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.06.2024 के माध्यम से विधिवत सत्यापित किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों ने बिना किसी दबाव, धमकी या जबरदस्ती के स्वेच्छा से समझौता किया है और वे संबंधित न्यायालय में लंबित मामले को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाहियों को निरस्त किया जाए तथा वे प्रति-शपथपत्र और प्रत्युत्तर-शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता भी दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों की सत्यता पर विवाद नहीं किया है।

6. पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर किसी मामले को निरस्त करने के संबंध में विधिक स्थिति पूरी तरह से सुस्थापित है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2012) 10 एससीसी 303** के अपने संविधान पीठ के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि "परंतु वे आपराधिक मामले जिनमें अत्यधिक और मुख्य रूप से दीवानी रंग/प्रकृति होती है, निरस्तीकरण के प्रयोजनों के लिए एक अलग आधार पर होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इसी तरह के लेन-देन से उत्पन्न होने वाले अपराध या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध या पारिवारिक विवाद जहाँ दोष मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का होता है और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद को सुलझा लिया है। मामलों की इस श्रेणी में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूर-दूर तक नहीं है और क्षीण है तथा आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को भारी उत्पीड़न व पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण व अंतिम समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।"

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर व अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (2017) 9 एससीसी 641 के मामले में अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त करने के व्यापक सिद्धांतों को इस आधार पर निर्धारित किया है कि "समझौते के आधार पर गैर-शमनीय मामलों में भी आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त किया जा सकता है ताकि न्यायालय का मूल्यवान समय बचाया जा सके और उसका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण मामलों में किया जा सके।"

9. दोनों पक्षकार संबंधित न्यायालय में अपने बीच लंबित कार्यवाहियों को वापस लेने पर सहमत हुए हैं। अभिलेख के परिशीलन और ऊपर उद्धृत कानून के आलोक में, वर्तमान मामला समन आदेश के साथ-साथ संपूर्ण कार्यवाहियों को निरस्त करने के लिए न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग करने हेतु एक उपयुक्त मामला है।

10. विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है जिसे पक्षकारों ने अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ पारस्परिक रूप से सुलझा लिया है, इसलिए अभियोजन को आगे और जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

11. निरस्तीकरण के लिए दायर वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत उन मापदंडों के भीतर आता है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या- 3831 वर्ष 2025, विशेष अनुमति याचिका (क्रिमिनल) संख्या- 11642 वर्ष 2019, निर्णीत दिनांक 02.09.2025 के मामले में निर्धारित किए गए हैं।

12. समझौता सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 11.06.2024 के निबंधनों के अनुसार, थाना बागपत, जिला बागपत से संबंधित वाद अपराध संख्या- 189 वर्ष 2018, अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 307 आईपीसी की संपूर्ण कार्यवाहियों को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

13. तदनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

04 जून, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"